<u>उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 प्रधान कार्यालय, लखनऊ।</u>

पंत्राक-90597 /आईडिल फण्ड /2016-17 दिनांक-30.01.17

समस्त शाखा प्रबन्धक,
उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0
<u>उत्तर प्रदेश।</u>

प्रधान कार्यालय के परिपत्र सी-99/लेखा/2016-17 दिनांक 24.12.16 द्वारा शाखाओं की वसूली धनराशि मुख्यालय को प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में यह निर्देश दिये गये है कि सभी शाखाएँ वसूली की धनराशि का 80 प्रतिशत धन प्रतिदिन मुख्यालय भेजेगी तथा 20 प्रतिशत धनराशि का उपयोग ऋण वितरण, प्रबन्धकीय व्यय व अन्य व्ययों में नियमानुसार किया जायेगा। मुख्यालय स्तर पर समीक्षा करने पर यह संज्ञान में आया कि कतिपय शाखाओं द्वारा उक्त निर्देश का अनुपालन नही किया जा रहा है।

अतएव निर्देशित किया जाता है कि शाखा प्रबन्धक अपना वेतन विपत्र तैयार करते समय यह सुनिश्चित कर ले कि शाखा पर प्राप्त वसूली की धनराशि का 80 प्रतिशत धन मुख्यालय को प्रेषित कर दिया गया है। जनपद स्तर के शाखा प्रबन्धक शाखा के शाखा प्रबन्धक का वेतन विपत्र स्वीकृत करने से पूर्व इस आशय का प्रमाण पत्र शाखा प्रबन्धक से प्राप्त कर लेगें कि शाखा की वसूली का 80 प्रतिशत धन मुख्यालय प्रेषित कर दिया गया है, इसी प्रकार मण्डलीय शाखा प्रबन्धक जनपदीय शाखा प्रबन्धक का वेतन विपत्र तभी स्वीकृत करेगे जब इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेगे कि जनपद की सभी शाखाओं द्वारा वसूली का 80 प्रतिशत धन मुख्यालय प्रेषित कर दिया गया है। मण्डलीय शाखा प्रबन्धकों का वेतन विपत्र मुख्यालय द्वारा तभी स्वीकृत किया जायेगा जब वह मण्डल की सभी शाखाओं के सम्बन्ध में उक्त आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेगें। वेतन विपत्र की स्वीकृति के पश्चात ही वेतन आहरित किया जाये।

इस आदेश का कड़ाई से अनुपाल सुनिश्चित किया जाये।

ह0/-
(श्रीकान्त गोस्वामी)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1-समस्त मण्डल पर्यवेक्षक, प्रधान कार्यालय लखनऊ।
2-उप महाप्रबन्धक(कम्प्यू0) को बैंक की वेबसाइड पर अपलोड करने हेतु।

ह0/-
प्रबन्ध निदेशक